

21.5.16

ପଢାବଳୀ କୁହି କର୍ମ-ମାତ୍ରୀ କା
ପଢାବଳୀ ପଢାବଳୀ କା ବିଷୟ
ଅଭିମତ ଦିଆ ଯାଉ ନାହିଁ
ପଢାବଳୀ ଦିଆ ଯାଏ।

ପଢାବଳୀ କୁମଳ ସୁଧା (କଟକ)
ନାମ (ନାମ) କୁ କୁମଳ ସୁଧା (କଟକ)

ଉପସଙ୍ଗ ଆଦିକାରୀ
ନୀଳାକାଠ

- 1 श्री चन्द्रसिंह पुत्र श्री मोहनलाल कोठारी निवासी मुख्यालय तहसील आसीर जिला भीलवाडा
- 2 सरपंच ग्राम पंचायत नालोला तहसील व जिला भीलवाडा -प्रार्थी

बनान

- 1 श्री चन्द्रसिंह पुत्र श्री मोहनलाल कोठारी निवासी बाजार नं० 2 भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
- 2 सरपंच ग्राम पंचायत नालोला तहसील व जिला भीलवाडा
- 3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

-अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू.-राज.अधि., 1956
निर्णय दिनांक 21.05.2016**

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू.-राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 24.10.2015 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम जीपिया प०म० मालोला तहसील भीलवाडा में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न० 374 रकबा 01-0-10, आ०न० 375 रकबा 0-16, आ०न० 376 रकबा 0-15-10, आ०न० 377 रकबा 0-07, आ०न० 380 रकबा 1-01 कुल किता 5 कुल रकबा 4-00 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.10.2015 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी/अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निसंदेह है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार हेराफेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसील भीलवाडा ग्राम जीपिया प०म० मालोला में स्थित प्रार्थी के खाते की कृषि आ०न० 374 रकबा 01-0-10, आ०न० 375 रकबा 0-16, आ०न० 376 रकबा 0-15-10, आ०न० 377 रकबा 0-07, आ०न० 380 रकबा 1-01 कुल किता 5 कुल रकबा 4-00 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभयपक्षकारान की उपस्थिति में करा देंगे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील कार्यालय भीलवाडा में 400/-रु० बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा, खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 21.05.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फंसल शुमार होकर दाखिल वक्त रहें।

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

प्रतिलिपि- तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा
भीलवाडा